न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 36/2023 जिला दौसा

1. कमोद देवी पत्नी अमर सिंह, जाति गुर्जर, निवासी पांचोली, तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कविता पत्नी रामचरण जाति मीना निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा राज.।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 13.06.2023 प्रकरण संख्या 40/2023 उनवानी कविता बनाम राजस्थान जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 में पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री गुलाब चन्द मीना, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से ।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक —01.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 15.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा में इस आशय का पेश किया कि " प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 591/578 वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि ख0नं0 591/578 का सीमाज्ञान तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 10.06.2023 को किया जा चुका है। लेकिन भूमि मुतदाविया के आसपास के खातेदारान प्रार्थीया के असहाय एवं कमजोर होने का फायदा उठाकर प्रार्थीया की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2023 को किया जा चुका है। प्रार्थी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को भूमि खसरा नम्बर 591/578 वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश दिनांक 13.06.2023 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट कमोद देवी पत्नी अमर सिंह यह अपील 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 13.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट जो कि प्रार्थीया रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि के लगते ही भूमि ग्राम खेडला में स्थित खसरा नम्बर 592/578 रकबा 0.1600 है0 की खातेदारी व काबिज काश्तकार है हो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलान्ट खसरा नम्बर 592/578 रकबा 0.1600 है0 की खातेदार व काबिज काश्तकार है जो प्रकरण में पडौसी खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार थी तो प्रार्थीया द्वारा पडौसी खातेदारान द्वारा परेशान किये जाने का तथ्य भी अंकित किया गया है परन्तु फिर भी प्रार्थीया द्वारा अपीलान्ट जो कि आवश्यक पक्षकार थी उसे पक्षकार ही नहीं बनाया तथा निहायत ही झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके तथ्यों पर गौर किये बिना ही रेस्पो0 नं0 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने क गरज से प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय पारि कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह ग्राम पांचोली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 591/578 के सम्बन्ध में पारित किया गया है तथा रेस्पो0 नम्बर 1 द्वारा भी भूमि ग्राम पांचोली की अंकित करके ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जबकि भूमि ग्राम खेडला में स्थित है ऐसी गम्भीर त्रुटि पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 592/578 रकबा 0.1600 है0 पर सैटलमेंट से पूर्व के नक्शे के अनुसार काबिज काश्त है। सैटलमेंट से पूर्व के नक्शे व वर्तमान नक्शे मे सैटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हेरा फेरी कर देने के कारण रेस्पो. 1 की भूमि खसरा नम्बर 591/578 की भूमि को अपीलान्ट की भूमि की तरफ बढा दिया जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपीलान्ट द्वारा नक्शे में की गई गडबडी को दुरूस्त करवाने के लिये सक्षम अदालत में अलग से कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा में मु.नं. 120/2023 दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती तरमीम एवं स्थायी निषेघाज्ञा उनवानी श्रीमति कमोद देवी बनाम कविता पेश किया हुआ है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 03.10.2023 नियत की हुई है। कानूनन प्रार्थना 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिस कारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनवाये बिना मौके के विपरीत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 13.06.2023 निरस्त किया जावे। प्रार्थीगण अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2023 से प्रभावित पक्षकार है। इसलिये अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व अपीलान्ट को सुनवाई का व सबूत का अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। इसलिये प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थीनी अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.06.2023 के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीया वाके ग्रम सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा की स्थाई निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सिकराय को सीमाज्ञान पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में आवश्यक होने के कारण तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। भूमि खाता संख्या नया 167 पुराना 35 के आराजी खसरा नम्बर 591/578 रकबा 0.0800 है0 चाही 2 वाके रामा पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसकी जमाबन्दी वर्तमान संवत 2073–2076 में प्रार्थीया के नाम दर्ज एवं राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। प्रार्थीया उक्त आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थी काबिज काश्ताकार है तथा मौके पर प्रार्थी काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है जिसे अन्य किसी का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। वर्णित आराजीयात से लगती हुई भूमि के पडौसी के खातेदारान प्रार्थीया से सीमा विवाद कर प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी उक्त को कब्जे कर भूमि को दबाना चाहते हैं। जिसके लिये व हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तथा येनकेन प्रार्थी की भूमि को हडप करने की फिराक में रहते हैं। उक्त वर्णित आराजीयात के पूर्व साबिक खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बर 591/578 रकबा 0.0800 है0 के सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब सिकराय के आदेश क्रमांक 59–60 दिनांक 13.05.2023 की पालना में दिनांक 10.06.2023 बहमराह पटवारी हल्का पांचोली भू0/अ0/निरीक्षक मानपुर भू0अ0 निरीक्षक पांचोली ए ओ के सिकराय के ग्राम पाचाचेली के आराजी के आराजी खसरा नम्बर 591/578 रकबा 0.0800 है0 के मौके पर पहुंचकर मौके पर आराजी खसरा नम्बर 591/578 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 591/578 का सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थी को अवगत कराया गया व मौके पर तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है जिसके प्रार्थी अरर्सा बजमाने बुर्जुर्गोन से उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। भूमी मुतदाविया के आस पडौस के खातेदारान की प्रार्थी के असहाय एवं कमजोर व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है, जो कि आये दिन बीच की बनी हुयी मेड डौल को तोडते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते हैं आये दिन आदमी मरने की नौबत पैदा हो जाती है। पडौसी खातेदारान से आये दिन झगडे होते है तथा संगीन वारदात होने की संभावना पैदा हो जाती है। प्रार्थी जो कि एक कमजोर एव असहाय व्यक्ति है। तथा बिना पत्थरगढी करवाये पडौसी खातेदारान प्रार्थी की भूमि को दबाते रहे है। ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। जिससे आये दिन होने वाले झगडा से बचा जा सके तथा इस प्रकार का आदेश प्रार्थी न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2023 की पालना में पत्थरगढी पडौसी काश्तकारान की उपस्थिति में करवाकर अनावश्यक सीमा विवाद का स्थाई करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को भूमि खसरा नम्बर 591/578 वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश दिनांक 13.06.2023 पारित किये गये हैं।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2023 अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कविता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा में इस आशय का पेश किया कि " प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 591/578 वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि ख0नं0 591/578 का सीमाज्ञान तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 10.06.2023 को किया जा चुका है। लेकिन भूमि मुतदाविया के आसपास के खातेदारान प्रार्थीया के असहाय एवं कमजोर होने का फायदा उठाकर प्रार्थीया की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2023 को किया जा चुका है। प्रार्थी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को भूमि खसरा नम्बर 591/578 वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश दिनांक 13.06.2023 पारित किये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनवानी कविता बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा. अधिनियम मुकदमा संख्या 40/2023 पेश किया। तहसीलदार सिकराय के आदेश क्रमांक संख्या/प्रशासन गॉवों के संग अभियान/59–60/दिनांक 13.05.2023 की अनुपालना में दिनांक 10.06.2023 को पटवारी हल्का पांचोली हमराज ग्राम प्रतिधरी सतीश सैन के साथ राजस्व ग्राम खेडला के आ.ख.नं. 591/578 के मौके पर सीमाज्ञान के लिये पंहुचा। मौके पर उपस्थित मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर निशानात लगाकर सीमाज्ञान किया। प्रार्थी को राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर निशानात लगार संतुष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 10.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2023 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः आदेश हैं कि</u> अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 13.06.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/8/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner